



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

पत्रांक: 028/पी-एच.डी./2017/DTS/13/721

दिनांक: 23. 05. 2018

कार्यालय आदेश

केंद्र से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा पंजीयन पूर्व सेमिनार प्रस्तुत नहीं करने के कारण केंद्र निदेशक की अनुशंसा के आधार पर श्री भगत नारायण महतो का पी-एच.डी. दलित एवं जनजातीय अध्ययन (सत्र : 2017-18) का उनका प्रवेश निरस्त किया जाता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
23/05/18

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. निदेशक, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर-सिदो कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अध्ययन मंडल में प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ।
4. श्री भगत नारायण महतो को इस निर्देश के साथ कि उनके द्वारा प्राप्त की गई नॉननेट फेलोशिप की कुल राशि वित्त विभाग में जमा करावें।
5. वित्त विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. परीक्षा विभाग।
7. पुस्तकालयाध्यक्ष, पंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय।
8. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. कार्यालय प्रति।